Government of National Capital Territory of Delhi

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITY

IInd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002

Ph.: 23379511-12, Fax: 23379513,

Website: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, E-mail: ddscstdel@hub.nic.in

Closing Date : 05.09.2014

Merit Scholarship for SC/ST/OBC/Minorities students studying in Colleges/ Professional/ Technical Institutions (2014-15)

Applications are invited from eligible students (as per criteria given below) for providing meritorious scholarship to enable them to pursue their studies.

ELIGIBILITY CRITERIA FOR STUDENTS STUDYING IN COLLEGE/PROFESSIONAL INSTITUTION.

(i) SC/ST/OBC/Min. Students should have obtained 60% or more marks in Senior Secondary Exams/Previous classes.

(ii) Scholarships are available to students pursuing any Degree/Diploma Course/Post Graduate Studies or any Professional/Technical Courses from (State Govt./Central Govt.) recognized/affiliated College/Institute.

(iii) Students belonging to SC/ST/OBC/Min. Should not be allowed to receipt any other scholarship during the relevant period. Student is allowed to avail the scholarship either under the state plan scheme Centrally Sponsored Scholarship Scheme whichever is beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution by mode of a declaration.

(iv) The applicant should submit attested copy of Caste Certificate (SC/ST/OBC) issued in the name of student or his father's name duly issued by SDM/Deputy Commissioner (Revenue), Govt. of NCT of Delhi. Domicile Certificate of Delhi if the Caste (SC) Certificate is not issued by the competent authority of Govt. of NCT of Delhi is required.

(v) Family income is not applicable in the case of SC/ST students. But family income ceiling of the parents in r/o OBC and Minority students is Rs. 2,00,000/- p.a. and the income proof in the form of a self declaration (in the prescribed format) is required.

(vi) Students getting stipend from Institutions/Government during the course of study are also eligible to get the merit scholarship.

(vii) The eligible students may submit their application (duly filled) alongwith attested copies of documents required in College/Department by 05.09.2014 and consolidate list of eligible students signed by the Head of College/Institute alongwith applications and other requisite documents should be submitted to the Deputy Director (SCH.) of the Department immediately or latest by **15.09.2014.**

(viii) The rate of scholarship will be reduced to 50% if a student who fails in the annual examination, but continues studies, except in cases where the student fails to appear in the annual examination on medical grounds of due to natural calamities or any other reason beyond his/her control.

(ix) Intentional non appearance in the annual examination will disqualify the student from the grant of scholarship during the next academic year.

(x) In case of minority student, declaration of minority status of the student by the parent in the form of an affidavit (in a non-judicial Stamp Paper of Rs.10/-) along with three years residence proof in Delhi i.e. Ration Card/Epic/Election Photo Identity Card/Aadhaar Number, Land line Telephone Bill of MTNL, Driving License issued by GNCTD, Pass Book of Nationalized Bank or Domicile Certificate issued by SDM in Delhi is also required.

(xi) Gap up to 3 years affidavit to be submitted by the student.

(xii) Bank Account should be in the name of the student (Joint Bank Account with Parent /Guardian is also permissible and form of Bank details should be verified by concerned Bank/Branch Authority.

(xiii) Scholarship will be awarded as per order/notification/circular/letter issued from GNCTD from time to time.

RATES OF SCHOLARSHIP

Course of Study Group- A

(i) Degree course in medical/engineering/B.Sc. (Agri)/ Veterinary Science/Forensic Science/Higher technical and professional studies (ii) Degree level course in Indian medicine B.A.M.S & comparable course in Ayurvedic. Unani/Tibbia and Homeopathy system of Medicine.

(ii) Post graduate courses in above and other technical and professional courses

Course of Study Group –B

i) Diploma level courses in Indian medicine B.A.M.S & comparable courses in Ayurvedic. Unani/Tibbia and Homeopathic system of medicine

(ii) Diploma level course in Engg. Technology. Architecture, Printing Technology, Oversear, Draftsman Surveyor, Hotel Management, Catering, Applied Nutrition, Commercial Pilot License Wireless & T V Operator Sound Recording & Engineering, Photography, Film Direction, Acting, Screenplay Writing.

(iii) Post graduate courses in science subjects.

Course of Study Group –C

Certificate courses in Engg. Technology, Architecture & Medicine Diploma & Certificate courses in Agri/Vet Sc/Fisheries/Dairy/Public Health/Sanitary Inspector/Rural services/Library Science/Sub-officers course in National fire service college Nagpur, Degree/Post graduate Diploma & Post Graduate course in teachers training/Library Sc./Physical Edn/Music/Fine/Arts/Law/Craft Instructor/Passenger Transport Management/Associate degree in Pharmacy.

Course of Study Group –D

(i) General courses upto graduate level

(ii) Post graduate studies in Arts & Commerce & other Subjects

(in Rs. Per Month)		
Group	**Hostellers**	**Day Scholars**
A	1620/-	900/-
	1860/-	960/-
B	1110/-	720/-
C	930/--	630/--
D	804/-	420/-
	1110/-	630/-

WHERE TO GET APPLICATION FORM:

Format of application form, consolidated statement (to be filled by the Head of College/Institution concerned), Self Declaration of Family Income (for OBC/Min. only) & Electronic Clearing Service Proforma (in r/o Student & College/Institution concerned) may be downloaded from the Department's website **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in.**

WHERE TO SUBMIT THE APPLICATION FORM:-

Application(s) complete in all respects, duly forwarded by Head of College/Institution concerned, should be addressed and forwarded to Dy. Director (Scholarship), Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities, B-Block, IInd floor, Vikas Bhawan, IP Estate, New Delhi-110002 on or before **15.09.2014** between 10.00 AM to 1.00 PM.

DIP/0638/14-15

Students once applied for the above scholarship may log on the department website i.e.: www.scstwelfare.delhigovt.nic.in for information with regard to status of their application.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

द्वितीय तल, बी-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फोन : 23379511-12, फैक्स: 23379513,

वेबसाइट : www.scstwelfare.delhigovt.nic.in, ई-मेल : ddscstdel@hub.nic.in

अंतिम तिथि : 05.09.2014

कालेजों/व्यावसायिक/तकनीकी संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी/ अल्पसंख्यक छात्रों हेतु मेधावी छात्रवृत्ति

योग्य छात्रों (अधोलिखित मापदण्ड के अनुसार) को मेधावी छात्रवृत्ति प्रदान कर सक्षम बनाने हेतु ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें से आवेदन आमंत्रित है।

कालेज/व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों हेतु योग्यता मापदंड

(i) एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षा/ पिछली कक्षाओं में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए होना चाहिए।

(ii) छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को प्रदान की जाएगी जो किसी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त/संबद्ध कालेज/संस्थान से कोई डिग्री/ डिप्लोमा कोर्स/ स्नातकोत्तर/शिक्षा या कोई व्यावसायिक/तकनीकी कोर्स कर रहे हों।

(iii) छात्र जो एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक से संबंधित हैं, को संबद्ध अवधि के दौरान किसी भी अन्य छात्रवृत्ति को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों को छात्रवृत्ति की प्राप्ति की अनुमति या तो राज्य योजना प्रणाली या केन्द्रीयकृत प्रायोजक छात्रवृत्ति प्रणाली के तहत जो भी उसकी/उसके लिए जानकारी हो, प्रदान की जाएगी और घोषणा के द्वारा संस्थान के प्रमुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने वाले प्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाएगा।

(iv) आवेदक को एसडीएम/उपायुक्त (राजस्व) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए छात्र के नाम या उसके पिता के नाम से जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी) की सत्यापित प्रतिलिपि को जमा कराना है। यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जाति (एससी) प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है तो दिल्ली का निवास स्थान प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

(v) एससी/एसटी/ प्रमाण छात्रों के मामलों में पारिवारिक आय लागू (आवश्यकता) नहीं है। किन्तु ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के माता-पिता की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु. 2,00,000/- है, से स्वघोषणा पत्र (निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार) के रूप में आय अपेक्षित है।

(vi) छात्र जो कि शिक्षा के दौरान संस्थानों/सरकार से भत्ते प्राप्त कर रहे हैं वे भी मेधावी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

(vii) योग्य छात्र कालेज/विभाग में अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति के साथ अपने आवेदन (भरे हुए) 05.09.2014 तक जमा कराएं और कालेज/संस्थान के प्रमुख योग्य छात्रों की समेकित सूची के साथ आवेदन और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों को हस्ताक्षर कर विभाग के उपनिदेशक (एससीएच) को तुरंत या नवीनतम 15.09.2014 तक जमा कराएं।

(viii) यदि कोई छात्र जोकि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, किन्तु पढ़ाई जारी रखता है तो उसकी छात्रवृत्ति की दर में 50% की कमी कर दी जाएगी। उन मामलों को छोड़कर जिनमें छात्र वार्षिक परीक्षा में प्राकृतिक आपदा के कारण, चिकित्सीय आधार पर या अन्य कोई कारण जो उसका/उसकी नियंत्रण के बाहर है, भाग लेने में असमर्थ रहा हो।

(ix) जानबूझकर वार्षिक परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति के अनुदान से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

(x) अल्पसंख्यक छात्रों के मामलों में, दिल्ली में तीन वर्ष के आवासीय प्रमाण पत्र अर्थात् राशन कार्ड/एपिक/मतदाता फोटो पहचान पत्र/आधार नम्बर, एमटीएनएल का लैंडलाइन टेलीफोन बिल, जीएनसीटीडी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक या एसडीएम द्वारा जारी निवास स्थान प्रमाण पत्र सहित माता-पिता द्वारा छात्र की अल्पसंख्यक स्थिति की घोषणा हलफनामे (रु. 10/- के गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर) के रूप (शक्ल) में अपेक्षित है।

(xi) छात्र द्वारा 3 वर्ष तक के अंतराल का हलफनामा भी जमा करना है।

(xii) बैंक खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए। बैंक प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किए गए माता-पिता/अभिभावक के साथ संयुक्त खाते को भी मान्यता दी जाएगी, जो बैंक/शाखा प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होगी।

(xiii) जीएनसीटीडी द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचना/परिपत्र/पत्र के अनुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति की दरें

अध्ययन का पाठ्यक्रम-समूह ए

(i) मेडिकल/इंजीनियरिंग/बीएससी (एग्री)/पशु चिकित्सा विज्ञान/फोरेंसिक विज्ञान/ उच्चतर तकनीक और व्यावसायिक शिक्षा में डिग्री

(ii) भारतीय चिकित्सा बीएएमएस में डिग्री स्तर का पाठ्यक्रम एवं आयुर्वेदिक, यूनानी, तिबिया और चिकित्सा की होम्योपैथी प्रणाली में तुलनीय पाठ्यक्रम

(ii) उपरोक्त और अन्य तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

अध्ययन का पाठ्यक्रम-समूह बी

(i) भारतीय चिकित्सा बीएएमएस में डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम एवं आयुर्वेदिक/यूनानी/तिबिया और चकित्सा की होम्योपैथिक प्रणाली में तुलनीय पाठ्यक्रम

(ii) अभि. तकनीक, आर्किटेक्चर, मुद्रण तकनीक, ओवरसियर, ड्राफ्टमैन सर्वेक्षक होटल प्रबंधन, कैटरिंग, व्यावहारिक पोषण, वायरलैस वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस एवं टीवी आपरेटर ध्वनि रिकार्डिंग तथा अभियांत्रिकी, फोटोग्राफी, फिल्म निर्देशन, अभिनय, पटकथा लेखन में डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम

(iii) विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

अध्ययन का पाठ्यक्रम-समूह सी

अभि. तकनीक एवं चिकित्सा में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम तथा एग्री/वेट साइंस/फिशरिज/डेयरी/जनस्वास्थ्य/ सफाई निरीक्षक/ग्रामीण सेवाएं/ पुस्तकालय विज्ञान/नेशनल फायर सर्विस कालेज नागपुर में उप अधिकारी का डिप्लोमा व सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग/पुस्तकालय विज्ञान/फिजिकल एजुकेशन/ संगीत/ फाइन आर्ट्स/ लॉ/ क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर/ यात्री परिवहन प्रबंधन/ फार्मेसी में एसोसिएट डिग्री आदि में डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

अध्ययन का पाठ्यक्रम-समूह डी

(i) स्नातक स्तर पर सामान्य पाठ्यक्रम

(ii) कला एवं वाणिज्य तथा अन्य विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा

(प्रतिमाह रु. में)		
समूह	छात्रावासी	दिवाछात्र
ए	1620/-	900/-
	1860/-	960/-
बी	1110/-	720/-
सी	930/-	630/-
डी	804/-	420/-
	1110/-	630/-

आवेदन प्रपत्र कहां से प्राप्त करना है:-

आवेदन प्रपत्र का प्रारूप, समेकित स्टेटमेंट (संबंधित कालेज/संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा गया) पारिवारिक आय का स्व-घोषणा पत्र (केवल ओबीसी/अल्पसंख्यक हेतु) एवं इलैक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सेवा प्रपत्र (कालेज/ संस्थान से संबंधित एवं छात्र) विभाग की वेबसाइट www.scstwelfare.delhigovt.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

आवेदन प्रपत्र कहां जमा करना है:-

सभी प्रकार से पूर्ण भरे हुए संबंधित कालेज/संस्थान के प्रमुख द्वारा अग्रसारित किए हुए आवेदनों को उपनिदेशक (छात्रवृत्ति)/अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बी-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को 15.09.2014 या उससे पहले पूर्वा. 10:00 बजे से अप. 1:00 बजे के बीच भेज सकते हैं।

DIP/0638/14-15

छात्र जिन्होंने एक बार उपरोक्त छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है अपने आवेदन की संबंधित स्थिति की जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट अर्थात् www.scstwelfare.delhigovt.nic.in पर जा सकते हैं।